न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 01/2022
3. उनवान : सरकार जरिये श्री रामस्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर ग्रामीण।

बनाम

अ) श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री वीरसिंह निवासी क्यूलागी थाना चम्बा, जिला टिहरी गढवाल (उत्तराखण्ड)।

ब) श्री बद्री निवासी जाटावाली, तहसील चौमू जिला जयपुर।

स) श्री सुभाष ठाकुर, वाहन मालिक टैंकर ट्रक नम्बर यूपी–13–टी–3002।

4. निर्णय दिनांक : 29.06.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को दिनांक 03.10.2014 को थानाधिकारी प्रागपुरा ने सूचित किया कि मुखबिर की सूचना पर ट्रक नम्बर यूपी–13–टी–3002 को रोक कर जांच करने पर टैंकर में केरोसीन पदार्थ भरा मिला जो संदिग्ध होने के कारण थाना परिसर में खडा करा लिया। थानाधिकारी द्वारा इस टैंकर की जांच के लिये निवेदन करने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के पुलिस थाना प्रागपुरा पहुंचा। वक्त मौका थाना परिसर में श्री हरपाल सिंह थानाधिकारी उपस्थित मिले। जिन्होंने दिनांक 03.10.2014 की तहरीर प्रस्तुत की। जिसके अनुसार मुखबिर की सूचना पर टैंकर यूपी–13–टी–2014 को चैक किया तो चालक प्रेम सिंह ने टैंकर में केरोसीन भरा होना बताया जो कि बायो फ्यूल की ब्लैक पदार्थ की बिल्टी बनाकर दिल्ली जा रहा है। यह बिल्टी लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस की है, जो गलत/फर्जी है। बिल्टी पर भेजने वाले का नाम एवं पाने वाले का नाम अंकित है। मौके पर थाना परिसर में टैंकर मय चालक के उपस्थित मिला। टैंकर की जांच करने पर उसमें भरा हुआ पैट्रोलियम पदार्थ माप तौल व परीक्षण करने पर, सूंघने पर तथा चालक से पूछताछ करने पर केरोसीन होना पाया गया जिसकी मात्रा 12000 लीटर पायी गयी। टैंकर चालक ने पूछताछ में बताया कि इस टैंकर में भरा केरोसीन जाटावाली चौमू से भरा है। इसमें केरोसीन भरते समय केरोसीन का रंग बदलने के लिये काला जला हुआ तेल मिला दिया है जिससे केरोसीन का रंग काला हो गया है। यह केरोसीन बद्री नाम के आदमी ने अपने घर से भरवाया है। बद्री के घर में लोहे के 56 ड्रम थे जिनमें से कुल 12000 लीटर केरोसीन टैंकर में भरा दिया। चालक ने बताया कि बिल्टी महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से है और बिल जो साईनाथ ट्रेडर्स के नाम से है गलत और फर्जी है। यह केरोसीन मैं दिल्ली में फेक्ट्रियों में खाली करता हूं वहां यह भट्टियों में काम में लेते हैं। इस प्रकार वक्त जांच यह माया गया कि प्रेम सिंह व बद्री द्वारा नीले केरोसीन में काला रंग मिलाकर फैक्ट्रियों में ईंधन के रुप में ब्लैक बायो फ्यूल के नाम से फर्जी बिल्टी व बिल के द्वारा बेचते है जिसमें उक्त टैंकर मालिक सुभाष ठाकुर भी शामिल है। प्रेमसिंह वगैरह का कृत्य आवश्यक अधिनियम 1955 सपठित आदेश केरोसीन (वितरण व निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण 12000 लीटर अपमिश्रित नीला केरोसीन कब्जेराज लिया गया जिसमें से टैंकर में 3000–3000 के चार चैम्बरों से अलग–अलग केरोसीन निकालकर उसे एक करके उसमें से 750–750 मिलीलीटर के 3 नमूने लिये गये तथा शेष 11997.750 लीटर अपमिश्रित केरोसीन मय टैंकर ट्रक, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस की बिल्टी के दो पेज व साईनाथ ट्रैडर्स के बिल के दो पेज वहज सबूत कब्जे राज लिये गये तथा प्रकरण में पुलिस थाना प्रागपुरा एफआईआर संख्या 461/2014 दिनांक 04.10.2014 दर्ज कराकर 11997.750 लीटर अपमिश्रित केरोसीन मय टैंकर को पुलिस थाना प्रागपुरा की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः जब्त शुदा 11997.750 लीटर अपमिश्रित नीला केरोसीन मय टैंकर को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि केरोसीन ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

1. प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2022 को निर्णय पारित किया गया। निर्णयानुसार दिनांक 03.10.2014 को थाना प्रागपुरा में जब्त टैंकर संख्या यूपी–13–टी–3002 और उसमें भरा हुआ 12000 लीटर अपमिश्रित नीला केरोसीन तेल जिसके कि अन्तरिम निस्तारण के आदेश 26.11.2014 को दिये गये थे, का वैध संग्रहण, संधारण, परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं होने के आधार पर तथा मिलावटी अपमिश्रित केरोसीन तेल होने की पुष्टि होने पर राजसात करने का आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय अति0 सैशन न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर में की गई, जिस पर दिनांक 19.04.2022 को निर्णय पारित किया गया। निर्णयानसुार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.02.2022 को अपास्त किया गया एवं अपील इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलार्थीगण को नियमानुसार धारा 6–बी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर नोटिस देकर जवाब का अवसर प्रदान कर धारा 6–ए (3) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानों व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को ध्यान में रखते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करें। **पक्षकारान को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।**

2. पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि अप्रार्थी/अधिवक्ता स्वयं उपस्थित हुआ है, इस कारण 6–ए (3) (ग) के अन्तर्गत पृथक से नोटिस ज़ारी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः पत्रावली जवाब/बहस हेतु नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब ना पेश कर प्रकरण के सन्दर्भ में बहस की गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि जब्त अपमिश्रित केरोसीन अवैध मिलावटी तथा हानिकारक, है और उसे ट्रक नंबर यूपी–13–टी–3002 में अवैध रूप से संग्रहित, भण्डारित और परिवहन किया गया है। जिसके परिवहन के कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। अतः जब्त अपमिश्रित केरोसीन व टैंकर को राजसात करना आवश्यक है।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्न तथ्य पेश किये हैः–

   i) यह कि दिनांक 3.10.2014 को पुलिस नाकाबन्दी में जयपुर से दिल्ली जा रहे उक्त टैंकर को मय उत्पादों के प्रागपुरा पुलिस द्वारा अभिग्रहित कर थाना परिसर में खडा कर दिया तथा चालक प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में अभियोग पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उक्त अभियोग पत्र विधिक विचारण हेतु माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एस.पी.ई. कैसेज), जयपुर जिला के न्यायालय में अन्तरित किया गया।

   ii) माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज), जयपुर जिला ने प्रकरण संख्या 40/2014 (24/2018) सरकार बनाम प्रेमचन्द, अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम का निर्णय दिनांक 25–9–2019 को किया, जिसके द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया गया।

   iii) माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज), जयपुर जिला ने टैंकर में भरे पदार्थ के नमूने लेने की कार्यवाही को अवैध माना तथा यह निर्णित किया कि नमूने की जांच न्यायालय में पेश नहीं हुई है और इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1990 (1) ई.एफ.आर. 394 एंव 1988 ई.एफ.आर 498 का उल्लेख किया है।

   iv) माननीय अपर न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2019 में अभिग्रहित टैंकर में उपलब्ध बायो डीज़ल का बिल व बिल्टी का उल्लेख है लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने कोई दस्तावेजों की जांच नहीं की।

   v) प्रथम सूचना रिपोर्ट में अप्रार्थी बद्री एवं सुभाष ठाकुर का नाम दर्ज है लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई अपराध नहीं पाये जाने से उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया। प्रवर्तन निरीक्षक ने बद्री व सुभाष को पक्षकार गलत बनाया है। जबकि टैंकर व उसमें भरा पदार्थ प्रेम सिंह के कब्जे से अभिग्रहित किया गया।

   vi) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए (3) (ग) के अनुसार "जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिहरण का आदेश दिया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है,

अतिरिक्त कलक्टर (पूर्व) जयपुर

वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत्त किये जायेंगे'' टैंकर व उसमें भरा पदार्थ अप्रार्थीगण वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

vii) इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों को अंकित किया है:–

1. 2013 (2) काइम्स 322
2. 2012 (3) किमीनल लॉ रिपोर्ट (राजस्थान) 1376
3. 2008 (2) किमीनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 924
4. 1996 (2) आरएलडब्ल्यू (राजस्थान) 682
5. 1995 किमीनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 288
6. 1985 ई.एफ.आर. 453
7. 1983 ई.एफ.आर 242

viii) उक्त टैंकर दिनांक 03.10.2014 से पुलिस थाना प्रागपुरा के बाहर मय बायो फ्यूल ब्लेक ऑयल के खुले में खडा हुआ है, जिसे साढे सात वर्ष से अधिक का अर्सा व्यतीत हो चुका है। धूप, सर्दी, बरसात आदि से वह सुरक्षित नहीं है और इतने अधिक समय से टैंकर व उसमें भरे बायो फ्यूल ब्लेक ऑयल के जब्त रहने से अप्रार्थीगण को भारी नुकसान उठाना पड रहा है। अन्त में जब्तशुदा टैंकर व सामान वापस देने की प्रार्थना की गई।

5. हम माननीय उच्चतर न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.2022 के सम्मान में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बहस का मनन करने पर और अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, नजीरों तथा माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एस.पी.ई. केसेज) जयपुर, जिला जयपुर के अन्तिम निर्णय दिनांक 25.09.2019 एवं माननीय न्यायालय अति0 सैशन न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक दिनांक 19.04.2022 का अवलोकन, मनन करने पर यह पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही में व्यक्तियों व वस्तुओं के संबंध में पृथक–पृथक कार्यवाही भिन्न–भिन्न सक्षम न्यायालयों में समानान्तर रुप से शुरु की गई। व्यक्तियों के संबंध में सिविल न्यायालय में की गई कार्यवाही के दौरान माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 में केवल अप्रार्थी संख्या 1 को साक्ष्यों के अभाव में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है किन्तु अपमिश्रित केरोसीन तेल व टैंकर के बारे में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज होने का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्णय उक्त जब्तशुदा टैंकर मय अपमिश्रित करोसीन तेल पर लागू नहीं होता है। इसलिये वस्तुओं के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा स्वतंत्र निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में आपराधिक प्रकरण संख्या 197/2017 (466/06) सरकार बनाम प्रेमनाथ चतुर्वेदी में दिनांक 28.08.2018 को निर्णय पारित करते हुये

"फलतः अभियुक्त प्रेमनाथ चतुर्वेदी पुत्र श्री किशनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 180, सिन्धी कॉलोनी, राजापार्क, पुलिस थाना जवाहरनगर, जयपुर को धारा 3 सपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।"

"प्रकरण में जब्तशुदा काला जला तेल एवं अन्य सामान (मुताबिक फर्द जब्ती) बाद गुजरने मियाद अपील या अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किये जावे।"

जहां तक अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों

1. 1990 (1) ई.एफ.आर. 394 एंव 1988 ई.एफ.आर 498
2. 2013 (2) काइम्स 322
3. 2012 (3) किमीनल लॉ रिपोर्ट (राजस्थान) 1376
4. 2008 (2) किमीनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 924
5. 1996 (2) आरएलडब्ल्यू (राजस्थान) 682
6. 1995 किमीनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 288
7. 1985 ई.एफ.आर. 453
8. 1983 ई.एफ.आर 242

अतिरिक्त कलक्टर
(पूर्वी) जयपुर